क्रमांक 1 से आगे

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1-12-14	वकील प्रार्थीगण / अप्रार्थी सं. 1 व अन्य उपस्थित नहीं / अतः पत्र के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी सं. 2, 3 की ओर से वकील श्री [illegible] उपस्थित [illegible] एकतरफा [illegible] किया, मुकदमा की नोटिस पत्रावली बाबत दिनांक 19-1-15 को पेश हो।	
19-1-15	पीठासीन अधिकारी [illegible] अवकाश/अन्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23-2-15 को पेश हो।	
23-2-15	अभिभाषक संघ द्वारा कार्य का बहिष्कार रखा गया हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8-3-15 को पेश हो।	
8-5-15	पीठासीन अधिकारी [illegible] अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22-6-15 को पेश हो।	
7-15	आज पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान [illegible] 2015 कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 26.6.13 को स्वीकृत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निकाली गयी [illegible] इस आशय का जारी किया है कि [illegible] विवादित अराजी ख.नं. 1324/944 [illegible] तक [illegible] के कब्जे मतलब में [illegible] और किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करें। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार [illegible] पक्षकारान को [illegible] जिसके निपटान [illegible] है। कानून अनुसार [illegible] इंच पर [illegible] के तथा [illegible] लेख जा सकता। [illegible] निर्णय करते हुए दिनांक 26.3.13 को [illegible] खारिज किया गया है। पत्रावली [illegible] है।	

(हेमराज मीणा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नवलगढ़ (झुन्झुनूं) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.08.25 11:55:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner